

**कार्यपालक अभियंता, का कार्यालय**

**जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार**

पत्रांक..... /

प्रेषक :-

कार्यपालक अभियंता,  
जिला शहरी विकास अभिकरण,  
कटिहार।

सेवा में :-

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी,  
श0 स्था0 नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र-1  
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना।  
कार्यालय- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,  
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना-800001

कटिहार, दिनांक..... /

विषय :-

जिला शहरी विकास अभिकरण (डुडा), कटिहार के प्रारम्भ से जनवरी-2017 तक लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0- 14/17-18 की कंडिकाओं में की गई आपत्ति का उत्तर/अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग :-

1. इस कार्यालय का पत्रांक 19(अनु0) दिनांक 10.01.2018
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार का पत्रांक LA/SS-I/A.C./I.R-14/17-18/85 दिनांक 18.04.2018

उपरोक्त प्रसंग '1' से निरीक्षण प्रतिवेदन सं0- 14/17-18 के कंडिका 1 से 9 तक का जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित उत्तर साक्ष्य सहित (कुल 202 पृष्ठ) समर्पित किया गया है।

प्रसंग '2' से कंडिका 4, 6, 9 को निरस्त किया गया है तथा कंडिका 1, 2, 3, 5, 7, 8 लंबित रखा गया है। कंडिका 1, 2, 3, 5, 7 एवं 8 से संबंधित पूर्व में जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित उत्तर के अनुरूप कार्रवाई से संबंधित साक्ष्य एवं तदनुसार उत्तर इस पत्र के साथ संलग्न है।

अनु0:- कंडिका 1, 2, 3, 5, 7 एवं 8 का उत्तर तथा तत्संबंधी साक्ष्य (कुल...65.....पृष्ठ)।

विश्वासभाजन

**ह0 -**  
कार्यपालक अभियंता,  
जिला शहरी विकास अभिकरण,  
कटिहार।

ज्ञापांक..... 4230 (अनु0) दिनांक..... 26-11-18

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0:- कंडिका 1, 2, 3, 5, 7 एवं 8 का उत्तर तथा तत्संबंधी साक्ष्य (कुल...65.....पृष्ठ)।

**ह0**  
कार्यपालक अभियंता,  
जिला शहरी विकास अभिकरण,  
कटिहार।

## निरीक्षण प्रतिवेदन सं०-14 / 17-18 भाग II (ख)

### कंडिका (1) के क्रम सं०-1 का उत्तर

जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार के पत्रांक 19(अनु०) दिनांक 10.01.2018 से समर्पित उत्तर में उल्लेख किया गया है कि परिवर्तित स्थल मनिहारी वार्ड नं०-3 के बल्दियावाड़ी में एकरारनामा सं०- 04F2/2017-18 दिनांक 23.12.2017 से कार्य प्रारम्भ हो गया है।


जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार के ज्ञापांक 302(अनु०) दिनांक 05.07.2018 द्वारा पूर्व में विमुक्त राशि रू० 13,35,725/- के अतिरिक्त रू 5,50,989/- की अधियाचना सचिव-सह-परियोजना पदाधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार से की गई है।

अधियाचना प्रपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि सिविल कार्य पूर्ण हो गया है।

उपरोक्त के आलोक में अब सिविल कार्य पूर्ण हो जाने तथा रू० 13,35,725/- से अधिक राशि के कार्य हेतु रू० 5,50,989/- के अधियाचना के परिप्रेक्ष्य में निरीक्षण दल के इस कंडिका में की गई आपत्ति का समाधान हो जाता है।

इस कार्यालय के पत्रांक 19(अनु०) दिनांक 19.01.2018 से समर्पित साक्ष्य के अतिरिक्त साक्ष्य पृ० सं० 1/24

पर द्रष्टव्य।

  
**कार्यपालक अभियंता**  
जिला शहरी विकास अभिकरण  
कटिहार

## निरीक्षण प्रतिवेदन सं०-14 / 17-18 भाग II (ख)

### कंडिका भाग (1) का क्र० सं०-2 का उत्तर

जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार के पत्रांक 19(अनु०) दिनांक 10.01.2018 से समर्पित उत्तर में उल्लेख किया गया है कि योजना ( सदर अस्पताल, कटिहार के बगल में पुलिस क्लब के सामने सामुदायिक शौचालय के निर्माण) का प्रशासनिक अनुमोदन रद्द किए जाने तथा पत्रांक 352(अनु०) दिनांक 21.10.2017 के आलोक में आवंटन प्राप्त हो जाने के उपरान्त इस योजना हेतु प्राप्त रू० 6,72,250/- लौटाया जा सकेगा।

जिला पदाधिकारी-सह- अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार के आदेश-सह- ज्ञापांक 25/डुडा, कटिहार दिनांक 25.04.2018 में निहित आदेश के अनुसार सदर अस्पताल, कटिहार के बगल में पुलिस क्लब के सामने सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु विमुक्त प्रथम किस्त की राशि रू० 6,72,250/- कार्य स्थल विवादित रहने के कारण मिरचाईवाड़ी चिल्ड्रेन पार्क में की गई व्यय की स्वीकृति प्रदान किया गया है तथा तदनुसार राशि समायोजित करने के आदेश निर्गत किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में सदर अस्पताल, कटिहार के सामने पुलिस क्लब के बगल में सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु प्राप्त रू० 6,72,250/- के आवंटन को मिरचाईवाड़ी चिल्ड्रेन पार्क के अतिरिक्त सौन्दर्यीकरण कार्य में दिनांक 19.11.2016 को तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार द्वारा किए गए हस्तान्तरण को दिनांक 25.04.2018 को समायोजित कर लिया गया है तथा इसके उपरान्त सदर अस्पताल, कटिहार के सामने पुलिस क्लब के बगल में सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु अवशेष आवंटन शून्य हो जाता है। इस प्रकार निरीक्षण दल के इस कंडिका में किए गए आपत्ति का समाधान हो जाता है।

इस कार्यालय के पत्रांक 19(अनु०) दिनांक 19.01.2018 से समर्पित साक्ष्य के अतिरिक्त साक्ष्य

पृ० सं०...~~528~~...पर द्रष्टव्य।

*(Handwritten Signature)*  
कार्यपालक अभियंता  
जिला शहरी विकास अभिकरण  
कटिहार

## निरीक्षण प्रतिवेदन सं०-14 / 17-18 भाग II (ख)

### कंडिका भाग (1) का क्र० सं०-3 का उत्तर


जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार के पत्रांक 19(अनु०) दिनांक 10.01.2018 से समर्पित उत्तर में उल्लेख किया गया है कि योजना (चालिसा हाट के निकट रामकंटू विद्यालय के पास सामुदायिक शौचालय का निर्माण) का प्रशासनिक अनुमोदन रद्द किए जाने तथा पत्रांक 352(अनु०) दिनांक 21.10.2017 के आलोक में आवंटन प्राप्त हो जाने के उपरान्त इस योजना हेतु प्राप्त रू० 6,72,250/- लौटाया जा सकेगा।

जिला पदाधिकारी-सह- अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार के आदेश-सह-ज्ञापांक 25/डुडा, कटिहार दिनांक 25.04.2018 में निहित आदेश के अनुसार चालिसा हाट के निकट रामकंटू विद्यालय के पास सामुदायिक शौचालय का निर्माण हेतु विमुक्त प्रथम किस्त की राशि रू० 6,72,250/- कार्य स्थल विवादित रहने के कारण के मिरचाईवाड़ी चिल्ड्रेन पार्क में की गई व्यय की स्वीकृति प्रदान किया गया है तथा तदनुसार राशि समायोजित करने के आदेश निर्गत किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में चालिसा हाट के निकट रामकंटू विद्यालय के पास सामुदायिक शौचालय का निर्माण हेतु प्राप्त रू० 6,72,250/- के आवंटन को मिरचाईवाड़ी चिल्ड्रेन पार्क के अतिरिक्त सौन्दर्यीकरण कार्य में दिनांक 19.11.2016 को तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार द्वारा किए गए हस्तान्तरण को दिनांक 25.04.2018 को समायोजित कर लिया गया है तथा इसके उपरान्त सदर अस्पताल, कटिहार के सामने पुलिस क्लब के बगल में सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु अवशेष आवंटन शून्य हो जाता है। इस प्रकार निरीक्षण दल के इस कंडिका में किए गए आपत्ति का समाधान हो जाता है।

इस कार्यालय के पत्रांक 19(अनु०) दिनांक 19.01.2018 से समर्पित साक्ष्य के अतिरिक्त साक्ष्य

पृ० सं०...~~5.4.8~~...पर द्रष्टव्य।

  
कार्यपालक अभियंता  
जिला शहरी विकास अभिकरण  
कटिहार

## निरीक्षण प्रतिवेदन सं०-14 / 17-18 भाग II (ख)

### कंडिका 2 का उत्तर

इस कार्यालय में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर इस कार्यालय के पत्रांक 19(अनु०) दिनांक 10.01.2018 से जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित उत्तर साक्ष्य सहित जमा किया गया है।

दिनांक 10.01.2018 के बाद प्राप्त कागजातों को साक्ष्य के रूप में संलग्न करते हुए कहना है कि श्री रमेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार को अगस्त-1999 से सितम्बर-2008 की अवधि का ACP Arrear की राशि रू० 2,49,067/- जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार से देय नहीं होने पर भी तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार (श्री कमल किशोर प्रसाद) द्वारा किया गया लेकिन वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 268(21) पटना, दिनांक 22.02.2012 एवं ज्ञापांक 519(21) पटना, दिनांक 04.04.2012 से निर्गत वेतन पर्ची के अनुसार दिनांक 08.11.2008 से अक्टूबर-2011 तक के जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार से देय बकाया वेतन रू० 3,77,092/- का भुगतान नहीं किया गया है तथा इस राशि के भुगतान हेतु श्री रमेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार द्वारा कोई दावा भी नहीं किया गया है।

उपरोक्त से वस्तु-स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जाती है।

साक्ष्य पृ० ~~9, 10, 11, 12~~ पर संलग्न है।

*Handwritten signature*  
26/11/18

**कार्यपालक अभियंता**  
जिला शहरी विकास अभिकरण  
कटिहार

## कंडिका 3 का उत्तर

(1) जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार के पत्रांक 19(अनु0) दिनांक 10.01.2018 समर्पित उत्तर में उल्लेख किया गया है की समाहरणालय से जिला अतिथि गृह कटिहार तक सड़क के सौन्दर्यीकरण कार्य (एकरारनामा सं0-12F2/2014-15) में खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2215/एम0 पटना, दिनांक 19.08.2017 की कंडिका 8.3 में उल्लेखित दिशा-निर्देश के आलोक में Form 'M' & 'N' के अभाव में Royalty की राशि रू0 89,141/- के बराबर राशि रू0 89,141/- Royalty के Penalty मद में वसूल करना है।

जिला पदाधिकारी, कटिहार से अनुमोदित उत्तर के आधार पर उपरोक्त के अनुसार रू0 89,141/- संवेदक के सुरक्षित जमा राशि से Royalty के Penalty मद में मापी-पुस्त सं0-75 के पृष्ठ 38 से वसूल कर चेक सं0-161802 दिनांक 22.10.2018 के माध्यम से खनन पदाधिकारी, कटिहार को उपलब्ध करा दिया गया है।

(2) वांछित ग्रेड के Bitumen प्रयोग नहीं किए जाने के वर्तमान परिस्थिति में पत्रांक 19(अनु0) दिनांक 10.01.2018 से समर्पित उत्तर में उल्लेखित Difference Cost of Bitumen = रू0 99,022/- की वसूली जिला पदाधिकारी, कटिहार से अनुमोदित उत्तर के आधार पर संवेदक के सुरक्षित जमा राशि से करते हुए इसे आवंटन में जोड़ दिया गया है। मापी-पुस्त सं0-75 के पृष्ठ 38 में आवश्यक कार्रवाई की गई है।

इस प्रकार Royalty के Penalty की राशि रू0 89,141/- एवं Difference Cost of Bitumen = रू0 99,022/- के Recovery के उपरान्त संवेदक का सुरक्षित जमा राशि रू0 3,71,459/- से घटकर रू0 1,83,296/- हो जाता है।

खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2215/एम0 पटना, दिनांक 19.08.2017 की कंडिका 8.3 से संबंधित कागजात पत्रांक 19(अनु0) दिनांक 19.01.2018 से पूर्व से समर्पित है। मापी-पुस्त सं0-75 के पृष्ठ 38 की सत्यापित छाया-प्रति संलग्न है।

चेक संख्या-161802 दिनांक-22.10.2018 से जमा की गई राशि की कटौती की विवरणी (पत्रांक 395(अनु0) दिनांक 27.10.2018) संलग्न है।

पृ. सं- 29 से 57 पर संलग्न।

Handwritten signature

26/11/18

कार्यपालक अभियंता  
जिला शहरी विकास अभिकरण  
कटिहार

## कंडिका 5 का उत्तर

जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार के पत्रांक 19(अनु0) दिनांक 10.01.2018 से समर्पित उत्तर में उल्लेख किया गया है कि मनिहारी शहर में मिलिक रेलवे गुमटी से सुबोल चौधरी के घर होते हुए दीप नारायण यादव के घर तक सड़क निर्माण का कार्य (एकरारनामा सं0-13F2/13-14) में खान एवं भूतत्त्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2215/एम0 पटना, दिनांक 19.08.2017 की कंडिका 8.3 में उल्लेखित दिशा निर्देश के आलोक में Form 'M' & 'N' के अभाव में Royalty की राशि रू0 84,743/- के बराबर राशि रू0 84,743/- Royalty की Penalty मद में संवेदक श्री राजेश कुमार से करना है। जिला पदाधिकारी, कटिहार के अनुमोदित उत्तर के आधार पर उपरोक्त के अनुसार रू0 84,743/- संवेदक के एकरारनामा सं0-12F2/14-15 के शेष सुरक्षित जमा राशि रू0 1,83,296/- में से वसूल कर चेक सं0-161802 दिनांक 22.10.2018 के माध्यम से खनन पदाधिकारी, कटिहार को पत्रांक 395 दिनांक 27.10.2018 से उपलब्ध करा दिया गया है। मापी-पुस्त सं0-75 के पृष्ठ 39 में आवश्यक कार्रवाई की गई है।

खान एवं भूतत्त्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2215/एम0 पटना, दिनांक 19.08.2017 की कंडिका 8.3 से संबंधित कागजात पत्रांक 19(अनु0) दिनांक 19.01.2018 से पूर्व से समर्पित है। मापी-पुस्त सं0-75 के पृष्ठ 39 की सत्यापित छाया-प्रति संलग्न है।

चेक संख्या-161802 दिनांक-22.10.2018 से जमा की गई राशि की कटौती की विवरणी (पत्रांक 395(अनु0) दिनांक 27.10.2018) संलग्न है।

शु. सं. 29 सं 57 पर हस्ताक्षर

## कंडिका 8 का उत्तर

जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार के पत्रांक 19(अनु0) दिनांक 10.01.2018 से समर्पित उत्तर में उल्लेख किया गया है की वार्ड सं0-36 अन्तर्गत नाला रोड फुलवाडी में वशिष्टमणि तिवारी के घर से विभिषण सहनी, रामाशीष पोद्दार एवं गोपाल पोद्दार के घर होते हुए परिमल मंडल के घर तक क्षतिग्रस्त नाला के जीर्णीकरण एवं पी0सी0सी0 पथ के निर्माण कार्य (एकरारनामा सं0-17F2/13-14) में खान एवं भूतत्त्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2215/एम0 पटना, दिनांक 19.08.2017 की कंडिका 8.3 में उल्लेखित दिशा निर्देश के आलोक में Form 'M' & 'N' के अभाव में Royalty की राशि रू0 68,249/- के बराबर राशि रू0 68,249/- Royalty की Penalty मद में संवेदक श्री राजेश कुमार से करना है। जिला पदाधिकारी, कटिहार के अनुमोदित उत्तर के आधार पर उपरोक्त के अनुसार रू0 68,249/- संवेदक के एकरारनामा सं0-12F2/14-15 के शेष सुरक्षित जमा राशि रू0 98,553/- से वसूल कर चेक सं0-161802 दिनांक 22.10.2018 के माध्यम से खनन पदाधिकारी, कटिहार को पत्रांक 395 दिनांक 27.10.2018 से उपलब्ध करा दिया गया है।

इस प्रकार कंडिका 3, 5, एवं 8 के उपरोक्त वसूली के उपरान्त एकरारनामा सं0-12F2/14-15 के सुरक्षित जमा राशि रू0 30,304/- बच जाता है। मापी-पुस्त सं0-75 के पृष्ठ 38 से 40 में आवश्यक कार्रवाई की गई है।

खान एवं भूतत्त्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2215/एम0 पटना, दिनांक 19.08.2017 की कंडिका 8.3 से संबंधित कागजात पत्रांक 19(अनु0) दिनांक 19.01.2018 से पूर्व से समर्पित है। मापी-पुस्त सं0-75 के पृष्ठ 40 की सत्यापित छाया-प्रति संलग्न है।

चेक संख्या-161802 दिनांक-22.10.2018 से जमा की गई राशि की कटौती की विवरणी (पत्रांक 395(अनु0) दिनांक 27.10.2018) संलग्न है।

शु. सं. 29 सं 57 पर हस्ताक्षर

*Handwritten signature*  
26/11/18

**कार्यपालक अभियंता**  
जिला शहरी विकास अभिकरण  
कटिहार


# निरीक्षण प्रतिवेदन सं०-14/17-18

## कंडिका 7 का उत्तर

इस कार्यालय के पत्रांक 19(अनु०) दिनांक 10.01.2018 से समर्पित उत्तर के अनुरूप इस कार्यालय के पत्रांक 357(अनु०) दिनांक 23.10.2017 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 394(अनु०) दिनांक 27.10.2018 के आलोक में भोपालिका ट्रेडिंग एजेन्सी एम० जी० रोड, कटिहार के पत्रांक शून्य दिनांक 19.11.2018 से वर्ष 2014-15 का Form C-IV में प्राप्त Tax Clearance Certificate एवं VAT के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 का चालान से जमा राशि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए कहना है कि भोपालिका ट्रेडिंग एजेन्सी से प्राप्त एवं संलग्न कागजात के आधार पर साबित होता है कि आपूर्तिकर्ता भोपालिका ट्रेडिंग एजेन्सी द्वारा कटौती की गई VAT की राशि चालान द्वारा जमा कर दी गई है तथा इसके आधार पर ही आलोच्य वर्ष 2014-15 का Tax Clearance Certificate Issue किया गया है।

अतः अब राशि की वसूली का प्रश्न नहीं उठता है। उपरोक्त के आलोक में इस कंडिका में की गई आपत्ति का निराकरण हो जाता है।

साक्ष्य पृ० ~~58/11/18~~ पर संलग्न है।

  
26/11/18  
**कार्यपालक अभियंता**  
जिला शहरी विकास अभिकरण  
कटिहार